संख्या– /VI/2006–143(पर्य0)/2002

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 23 जून, 2006

विषयः–चालू निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2006–07 के आय व्ययक की एकमुश्त धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में चालू निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) व्यय करने हेतु निदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार किश्तों मे ही किया जायेगा।

2–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–उक्त धनराशि के विपरीत योजनाओं की स्वीकृति अपनी प्राथमिकतायें तय करते हुए उस पर पर्यटन परिषद का अनुमोदन प्राप्त करके धनराशि व्यय की जायेगी।

4–स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है, मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरित मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5–वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई के अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

7–प्रत्येक योजना में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक साइनेज स्थापित कर दिया जायेगा, जिसमें कार्य का पूर्ण विवरण उत्तरांचल पर्यटन के "लोगों" सहित इंगित किया जायेगा, जैसा कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रत्येक निर्माण इकाई को इंगित किया जा चुका है।

8–समस्त लम्बित कार्यों की अद्यतन प्रगति एवं उन्हें पूर्ण करने हेतु योजनावार तैयार कार्यक्रम/पूर्ण करने की तिथि सहित समस्त विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय। समस्त व्ययों पर योजनावार/कार्यवार उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रयास यह किया जायेगा कि अधिक से अधिक चालू कार्य पहले पूर्ण किये जाये और जिनमें पूर्व स्वीकृत धनराशि उपयोग नहीं किया गया है, उनमें उसका उपयोग सुनिश्चित कर ही अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त की जाय।

9–चालू कार्यो पर धनावंटन के पूर्व कुल लम्बित कार्यो की सूचना, कार्य की लागत, स्वीकृत धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उक्त धनराशि से कार्यवार आवंटन का विवरण के साथ मासिक रूप से आवंटित धनराशि के विपरित व्यय की सूचना व कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराकर कार्यो का सघन अनुश्रवण किया जायेगा।

10–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–207/XXVII(2)/2006, दिनांक 16 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(संतोष बड़ोनी)